<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर।</u>

परिवाद सं0-09/2023

REG NO-205/2023

CNR NO-UPRP04-024342-2023

श्रीमती गुलसबा बनाम वसीम आदि

थाना-गंज

जनपद रामपुर।

<u>दिनांक 03.09.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं आया। कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी दाखिल नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली दिनांक 27.02.2023 से बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं०में नियत चली आ रही है, किन्तु न तो परिवादिनी उपस्थित आ रही है व न ही उनके द्वारा बयान अन्तर्गत धारा-202 दं०प्र०सं के अन्तर्गत किसी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया जारहा है। आज भी कई अंतराल पर हुई पुकार पर न तो परिवादी उपस्थित है, न ही उनके द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही दाखिल किया गया।

वर्तमान में प्रस्तुत परिवाद में माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परिवाद की कार्यवाही को स्थगित करने के संबंध में कोई भी आदेश संलग्न नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी की रूचि प्रस्तुत परिवाद को चलाने में शेष नहीं है। अतः परिवाद इस स्तर पर बलहीन होने के कारण आगे अग्रसारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० में निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0 प्र 0 सं0 के प्रावधान में निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 03.09.2024

(काव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर
JO CODE-UP3281